



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कल्यानी सेटर ०

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 27-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आसोक आपके विद्यालय MAHNAR ST. JOSEPH'S SCHOOL, MAHNAR ST JOSEPH'S SCHOOL, AMRAPALI MARG, AT & P.O- MAHNAR , DIST:VAISHALI(BIHAR). MAHNAR, 844506 . क्रम १ से ८ तक संचालन हेतु तीन वर्ष 27-08-2021 से 27-8-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकति निम्न शर्तों के अनुपातन के अधीन होगी।

- प्रस्तीकति किसी भी परिस्थिति में कक्षा ८ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपातन अवधयक रूप से सुनिश्चित करेग।
- विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने ३ करेग। पढ़ोस के कमजोर दर्द एवं जलाभकारी सनूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्ण प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कठिना ३ में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आसोक में निर्धारित राशि की प्रतिशूलि की जाएगी। प्रतिशूलि की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- सेतोईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेल फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिनावक ला स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों द्वारा इसमें जो किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आसोक में प्रगाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के प्रावधानों के आसोक में विकलाग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामावेशन किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा गे उनके लिए निर्धारित न्यूनता पौराण के अनुरूप किया जाएगा।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा १ में प्रावधानित शिक्षकों के दावेवाले का निर्वहन करेगे।
 - शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में सतत नहीं होगे।

- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्ष का अनुसरण करेगा।

Principal

Mahnar St. Joseph's School
Aff. to C.B.S.E., New Delhi up to
Secondary level (Aff. No.-330724)
Mahnar (Vaishali) Pin-844506
Bihar (India)

MANAGING DIRECTOR
MAHNAR ST. JOSEPH'S SCHOOL

Bdhi Shukla

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 150

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 150

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- DIGITAL CLASS ROOM , PLAY GROUND , LIBRARY, LABORATORY, COMPUTER LAB , TOILET, DRINKING WATER FACILITY

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 33

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 9

(vi) वालक तथा वालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 13 , Girls 11

(vii) पेयजल की सुविधा :- 04

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(ix) वाधारहित पहुँच[] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय :- Digital Smart Class Room , Composite Science Lab, Mathematics Lab, Computer Lab equipped with Internet Facility , Library. , Badminton , Football , Cricket Kit , Basket Ball , Carrom Board, Chess, Kho-Kho Play Items , (Y , 550 , NewsPaper Magazine:- 5)


11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निविधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में तागू कानून के तहत गठित किए जाने वाले द्रष्टव्य से 13 संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [22012832021827212432, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राधिकरण शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर नियम अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

01/05/2022
वि भास भाजन
ह०।-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, VAISHNAVI
सह-सचिव प्रस्वीकृत सभि
शिक्षा विभाग , विहार सरकार


Principal
Mahnar St. Joseph's School
Aff. to C.B.S.E., New Delhi upto
Secondary level (Aff. No.-330724)
Mahnar (Vaishali) Pin-844506
Bihar (India)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, वैशाली


MANAGING DIRECTOR
MAHNAR ST. JOSEPH'S SCHOOL